4 डेली न्यूज़ रिपोर्टर
लखनऊ, रविवार, 29 जुलाई 2012

एकाउंटेंट बनने की राह आसान

लखनऊ (डीएनएन)। आने वाली नई जनरेशन को वह पढ़ाएं और सिखाएं, जिससे वह कुछ कमाई कर सके।अपना जीवन यापन आराम से कर सके। किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। ऐसी जगह पढ़ाएं जहां से शिक्षा ग्रहण करने के बाद उसे कहीं पर जॉब मिल सके।

यह बात द इंस्टीटयूट ऑफ कास्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई). के अध्यक्ष राकेश सिंह ने कही। कोई भी गरीब छात्र अगर कक्षा 10 पास है तो भी वह एकाउंटेंट बन सकता है। बताया कि तीन सराल के कोर्स में सिर्फ 40 हजार रुपए फीस जमाकर कोई भी छात्र अथवा व्यक्ति तीन वर्ष में इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। इस कोर्स के माध्यम से उन्हें बाजार में अच्छी जॉब तो मिलेगी। एडमीशन पूरे वर्ष चलते रहते हैं, परीक्षा वर्ष में सिर्फ दो बार जून और दिसंबर माह में होती है। गार्जियन को अब अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए खेत बेचने और 20 से 25 लाख रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। नए कोर्स में आईटी, इंजीनियरिंग और कम्यूनिकेशन पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। आईसीएआई भारत सरकार

की संसद के अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित तथा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के नियन्त्रण मे एक उत्कृष्ट संस्था है। बताया कि हमारी संस्था एक वैधानिक संस्था है जिसके सदस्य देश, विदेश, सरकारी नौकरी एवं स्वतंत्र प्रैक्टिस द्वारा उच्च पदों पर आसीन हैं। हमारे सदस्य कई सरकारों के उच्च स्तरीय सलाहकार के पद पर आसीन हैं। बताया कि संस्था के चार क्षेत्रीय हेड आफिस, 95 चैप्टर, आठ विदेशी चैप्टर, देश विदेश में फैले हुए 50,000 से अधिक सदस्य एवं लगभग 4,50,000 विद्यार्थी हैं।

आजकल केवल बीकाम और एमकाम से काम नहीं चलता। इसके साथ प्रोफेशनल्स डिग्रियां भी जरूरी हो गयी हैं। इनसे जॉब की राह काफी आसान हो जाती है। द इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एकाउन्टेंट्स ऑफ इण्डिया (आईसीएआई) का कास्ट एण्ड मैनेजमेंट अकाउन्टेंसी से संबंधित कोर्स भी ऐसा ही एक कोर्स है और द इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एकाउन्टेंट्स ऑफइण्डिया (आईसीएआई) भारत सरकार की संसद के अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित है और कास्ट एण्ड मैनेजमेंट अकाउन्टेंसी कोर्स में डिग्री प्रदान कर रहा है। इस दौरान लखनऊ चैप्टर के चेयरमैन सुनील सिंह, सचिव विकास कुमार श्रीवास्तव और विनय कुमार श्रीवास्तव सहित तमाम लोग मौजूद रहे।

चारु मजमदार की स्मृति में गोष्ठी
U.P. STATE INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LTD.